न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2021 (बांसवाड़ा डिकी)

विटला पिता देवेंग, जाति भील, निवासी गांव पिण्डारमा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. गौतम पिता नगजी, जाति भील, निवासी गांव पिण्डारमा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हिरा पिता नगजी, जाति भील, निवासी गांव पिण्डारमा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि. –1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दि. 24.10.2019 प्रकरण संख्या 101/2011

---::---

उपस्थित :- 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री महेन्द्र कुमार गांधी अभिभाषक रे.सं. 1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 11–11–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी की वंशावली निम्नानुसार है :–

हलिया
↓
डूंगर
↓
देवेंग → विटला
नगजी → गौतम, हिरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

मूलपुरूष हलिया जी होकर उनका पुत्र डूंगर हुआ। डूंगर के दो पुत्र देवेंग व नगजी हुए। प्रतिवादी संख्या 1 देवेंग का पुत्र है, जबकि वादीगण नगजी के पुत्र हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज के समय से आराजी नंबर 196, 325, 484, 578, 599, 615, 618, 620, 641, 644, 654, 655, 1211, 1422, 1423 कुल खेत 15 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम पिण्डारमा में स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी के पिता देवेंग बड़ा भाई होने से भील समाज के जाति रिवाज अनुसार बड़े भाई के नाम भूमि दर्ज हो गयी, जबकि विवादित भूमि मौरूसी होने से वादीगण का भी 1/2 हिस्सा निहित है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 6 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 24–10–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–03–2021 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार गांधी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माह दिसम्बर 2019 में वादीगण मौके पर आकर अपीलान्ट को धमकाने लगे तथा जमीन का फैसला [illegible] बना [illegible] में बताते हुए जमीन खाली करने को कहा तो अपीलान्ट ने [illegible] हल्का से सम्पर्क किया एवं जनवरी 2020 में उन्हें नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

किया, लेकिन उक्त पत्रावली को पेशकार व अन्य कर्मचारी ढूंढते रहे, किन्तु उक्त पत्रावली नहीं मिली उसके बाद कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते अपीलान्ट को दिनांक 05–03–2021 को नकल प्राप्त हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपील करीब डेढ़ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

8. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की होकर उनका कब्जा चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट/वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट के हिस्से में गांव रागेला पाडा के खाता संख्या 46 नयी 47 पुरानी के कुल खेत 27 रकबा 3.27 हैक्टर भूमि आयी है तथा रेस्पोडेन्ट/वादीगण गांव रागेला पाडा में ही निवास करते हैं। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जो हिन्दू विधि से शासित नहीं होकर जाति रीति रिवाज अनुसार शासित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जवाबदावा व वाद के आधार पर प्रकरण में तनकियां कायम की, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, जो सी. पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 15 अवसर दिये गये, किन्तु इनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। भूमि पैत्रृक होने से रेस्पोडेन्ट/वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

10. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में विवादित आराजी नंबर 196, 325, 484, 578, 599, 615, 618, 620, 641, 644, 654, 655, 1211, 1422, 1423 कुल खेत 15 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा अपीलान्ट विठला के खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने विवादित भूमि को मौरूसी बताते हुए उसमें 1/2 हिस्से की घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियां कायम की गयी, किन्तु बिना प्रतिवादी को सुने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना तनकियों का विवेचन किये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत सुनवाई व जिरह का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के एक मात्र खातेदार अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–08–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर